पत्र सं०–5/पी०(नई यो०)–07/2022– 58(5)ब, स्वा०

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
राँची।

राँची, दिनांकः 08.01.2026

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड एवं राज्य योजनान्तर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 2,80,98,823/–(दो करोड़ अस्सी लाख अनठानबे हजार आठ सौ तेईस) रुपए मात्र का आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–06(5)ब०यो०, दिनांक–11.05.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं०–55(5)यो० दिनांक–30.12.2025 तथा कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक–3280 दिनांक–15.12.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड एवं राज्य योजनान्तर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण की योजना हेतु राज्य योजना मद से अधोलिखित तालिका के अनुसार कुल 2,80,98,823/–(दो करोड़ अस्सी लाख अनठानबे हजार आठ सौ तेईस) रुपए मात्र आवंटित की जाती है:–

क्र	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	व्यय की स्वीकृति के पश्चात् योजना की कुल लागत राशि	योजना में NHM निधि से देय राशि	राज्य योजना मद से देय राशि	राज्य योजना मद से अबतक आवंटित राशि	राज्य योजना मद से वर्तमान आवंटन	राज्य योजना मद से कुल आवंटित राशि
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोटका, पूर्वी सिंहभूम	06(5)ब०यो०, 11.05.2022 एवं 55(5)यो० 30.12.2025	11,00,00,000	12,13,98,823	9,33,00,000	2,80,98,823	0	2,80,98,823	2,80,98,823

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेशों की सभी शर्त्तें यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेशों में अंकित सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

3. व्यय का विकलन राज्य योजनान्तर्गत बजट शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन–64–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान–06–अनुदान–79 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (विपत्र कोड 20एस 2210–01–001–64–00–06–79) के अधीन उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, राँची होंगे। सिविल सर्जन, राँची राशि का पुस्तान्तरण प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के पी०एल० खाता–मुख्यशीर्ष–8448–स्थानीय निधि जमा–120–अन्य निधियाँ में करेंगे।

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

5. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्ते वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक–2561 वि०, दिनांक–17.04.98 एवं 1800(वि०), दिनांक–15.07.2003 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य आदेश के आलोक में होगा।

7. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से होगी।

8. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र/चेक पर आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा एवं यह प्रमाणित किया जाएगा कि प्रस्तुत विपत्र/चेक प्रशासनिक स्वीकृत राशि एवं आवंटित राशि के अन्तर्गत है। कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता योजना की वित्तीय/भौतिक समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो। राशि की निकासी पारित विपत्र के आधार पर की जाएगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रुप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. जिस शीर्ष के अन्तर्गत राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अन्तर्गत व्यय भारित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अन्तर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. कार्यो की गुणवत्ता एवं प्रगति का मूल्यांकन इस उद्देश्य से चयनित Third Party Quality Control एजेन्सी से कराना सुनिश्चित करते हुए उसका प्रतिवेदन नियमित रुप से प्राप्त किया जाएगा। राशि का भुगतान Quality Control जाँच कराए जाने के बाद ही किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाएगा।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के अभियन्ताओं का दायित्त्व होगा।

13. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची के संबंधित अभियंता इससे आश्वस्त हो लेंगे कि योजना का कार्यान्वयन Jharkhand PWD Code-2012 के सुसंगत नियमों के अधीन किया गया हो, इसके पश्चात ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जाएगा। योजना में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान की स्थिति में निगम के संबंधित पदाधिकारी/अभियंता पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे।

14. कार्य एजेन्सी झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन (वित्तीय एवं भौतिक) प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जाएगा।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

58(5)ब,
08.01.2026

ज्ञापांकः 58(S)ब,　　　　　　　　　　　　　　　　रॉंची, दिनांकः 08.01.2026

प्रतिलिपिः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
3. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
4. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम।
5. सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम।
6. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची।
7. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
8. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
9. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)	(ललित मोहन शुक्ला)	(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव	संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

58(S)ब / 08.01.2026

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वितीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 5/P-NS-07/2022/58(5)B दिनांक - 08-Jan-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100100164000679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 001 - निदेशन और प्रशासन 64 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान 00-NA 06 - अनुदान **State Scheme**	85065	RNCMED013 PRABHAT KUMAR C.S.CUM C.M.O.RANCHI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	28,098,823.00 रुपये दो करोड अस्सी लाख अठानवे हजार आठ सौ तेइस

State Scheme : ADDITIONAL GRANTS-IN-AID TO NATIONAL HEALTH MISSION(1699)

Centeral Scheme : NA

योग: 28,098,823.00

रुपये दो करोड अस्सी लाख अठानवे हजार आठ सौ तेइस

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

49.37.64.253

Run Date: 8/1/2026

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 001 - निदेशन और प्रशासन & 64 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100100164000679	Total
					सहायता अनुदान सामान्य ;गैर.वेतनख्र	
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S.Cum C.M.O.Ranchi	₹2,80,98,823.00 (85065)	₹2,80,98,823.00

कुल आवंटित राशि :- ₹2,80,98,823.00 (दो करोड अस्सी लाख अठानवे हजार आठ सौ तेइस **) रूपये मात्र।**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY